संविधानमे मानव अधिकार

नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका श्रृंखला
संख्या - ३

संवैधानिक संवाद केन्द्र
CENTRE FOR CONSTITUTIONAL DIALOGUE

संवैधानिक संवाद केन्द्र

प्रकाशक

संवैधानिक संवाद केन्द्र

प्रथम संस्करणः २०६५ साल

प्रतिलिपि अधिकार © संवैधानिक संवाद केन्द्रमे सर्वाधिकार सुरक्षित अछि । सामग्रीक स्रोतक रुपमे संवैधानिक संवाद केन्द्रक नामे साभार व्यक्त क' गैरव्यावसायिक प्रयोजनक लेल ई पुस्तकक अंशसभ पुनःप्रकाशन आ/अनुवाद कएल जा सकैत अछि। पुनःप्रकाशन आ/अनुवादक एक प्रति संवैधानिक संवाद केन्द्रकेँ उपलव्ध कराओल जायत ।

साजसज्जा आ मुद्रण

प्रिन्ट प्वाइन्ट पव्लिसिङ्ग, त्रिपुरेश्वर, काडमाण्डू ।

विशेष जानकारी अथवा ई पुस्तकक प्राप्तिक लेल निम्नलिखित स्थानपर सम्पर्क राखब :

संवैधानिक संवाद केन्द्र

तेसर महल, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डू

टेलिफोन नं.: ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८

ई –मेलः info@ccd.org.np

वेब साइटः www.ccd.org.np

संविधानमे मानव अधिकार

पुस्तिका शृंखला ३

संविधानमे मानव अधिकार १
मानव अधिकार सभक लेल १
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सन्दर्भ २
नेपालमे मानव अधिकार ४
संविधानसभाद्वारा विचार करब आवश्यक रहल किछु सम्भावित मुद्दा ६

संविधानमे मानव अधिकार

मानव अधिकार सभक लेल

मनुष्यक राष्ट्रियता जत' कतहुक हुअए, ओ जत' कतहुक बासी हुअए, ओकर राष्ट्रियता तथा जातीय उत्पति, लिंग, वर्ण, धर्म, भाषा अथवा अन्य परिचय जे किछु होउक मानव अधिकार सभ मनुष्यमे अन्तर्निहित होइत अछि । मानव समान रूपसँ मानव अधिकारक हकदार होइत अछि । मानव अधिकारक विश्वव्यापी घोषणाक धारा १ अनुसार "मनुष्य जन्म लेबाकाल स्वतन्त्र होईत अछि आ मर्यादा तथा अधिकारक दृष्टिकोणसँ सभ समान होईत अछि ।" ई अधिकारसभ **अन्तरसम्बन्धित, अन्तरनिर्भर** आ **अविभाज्य** होइत अछि। विश्वव्यापी मानव अधिकारसभ सन्धि, परम्परा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सामान्य सिद्धान्तसभ तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनक अन्य स्रोतक रूपमे व्यक्त तथा प्रत्याभूत (गैरेण्टी) कएल गेल रहैत अछि । व्यक्ति आ समूहक आधारभूत स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारक संरक्षण तथा प्रबर्द्धन करबा लेल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन सरकारसभकेँ निश्चित तरिकासँ काज करबा लेल अथवा कोनो काज नहि करबा लेल निर्देश केने रहैत अछि ।[1]

मानव अधिकार अहरणीय होइत अछि । मानव अधिकार राज्यद्वारा प्रदान कएल जाएबला चिज नहि अछि । सरकार ने त' मानव अधिकारकेँ उल्लंघन क' सकैए ने त' स्वेच्छाचारी रूपसँ एकर हरणे क' सकैए । बिशेष आ असाधारण परिस्थिति अथवा अत्यावश्यकता आ अनुपातिकताक सीमाअन्तर्गत कानुनक परिधिसँ बाहर भ' क' एकरा दबाओल नहि जा सकैए । उदाहारणक लेल अदालतद्वारा कोनो व्यक्तिकेँ अपराधी कहलाक बाद मात्र ओहन व्यक्तिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारकेँ नियन्त्रण कएल जा सकैत अछि ।

मानव अधिकारअन्तर्गत **नागरिक** (व्यक्तिगत स्वतन्त्रता), **राजनीतिक** (एकत्रित होबाक, संघसंस्था खोलबाक, निर्वाचन करबाक तथा निर्वाचनमे भाग लेबाक अधिकार), **आर्थिक** (खाद्यान्न तथा आवाससम्बन्धी अधिकार), **सामाजिक** (शिक्षा, स्वास्थ्य), तथा **सांस्कृतिक** (भाषा, संस्कृति, परम्परागत रीतिरिवाज) अधिकारक संगहि विकास (प्राकृतिक स्रोतपर पहुँच, विकास तथा वैज्ञानिक आबिष्कारक लाभसभक समान बितरण आ उपयोग), वातावरण (स्वच्छ वातावरण आ पर्यावरण) एवं शान्ति (हिंसा आ द्वन्द्वसँ स्वतन्त्रता) सम्बन्धी अधिकारसभ पडैत अछि । मौलिक

---

१ थप जानकारीक लेल http://ochr.org/EN/Issues/WhateverHumanRights.aspx देखू ।

अधिकार कहि क' व्यवस्था कएल गेल अधिकारक अर्थ कोनो देशक संविधानद्वारा ओहि देशक नागरिकसभक लेल मात्र निश्चित कएलगेल अधिकारसभकेँ बुझबाक चाही। मुदा, एकर अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय रूपसँ मान्य आ बन्धनकारी मानव अधिकारकेँ मौलिक अधिकार सीमित करैत अछि से कहि क' नहि बुझल जेबाक चाही।

बहुतरास मानवअधिकारक उल्लेख राज्यक बिरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार कहि क' कएल गेल रहैत अछि। ओहन अधिकारसभक उल्लंघनक स्थितिकेँ दृष्टिमे रखैत अधिकारसभक संग उपचारक प्रावधान हएब अति आवश्यक अछि। ओहन हक-अधिकारमे जीवनक अधिकार तथा भौतिक अस्तित्वक अधिकार, कानुनी समानता आ व्यक्तिगत वाक तथा अभिव्यक्तिक स्वतन्त्रता आदि पड़ैत अछि। सामान्य परिस्थितिमे राज्यद्वारा व्यक्तिगत बातमे हस्तक्षेप नहि भेलाक स्थितिमे ओहन अधिकारसभ पूर्णरूपसँ उपभोग कएल जा सकैए। राज्य स्वेच्छाचारी रूपसँ व्यक्तिगत बातमे हस्तक्षेप नहि क' सकैत अछि। गैर-राज्य पक्षसँ अपन अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पड़'बला नागरिकक मानव अधिकार हनन नहि होब' देबाक कारणसँ संरक्षण प्रदान करबाक उत्तरदायित्व सेहो राज्येक होईत छैक। एहन अधिकारक दोसर अर्थ होइत अछि, अपन नागरिकक चतुर्दिक विकासक लेल काज करब राज्यक जिम्मेबारी होइत अछि। एहन जिम्मेबारीअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आ रोजगारीक अधिकारसभ पड़ैत अछि। एहन अधिकारसभकेँ पूर्ण सक्रियताक सँग संगठित तथा स्थिर रूपसँ सुनिश्चित केलापर व्यक्तिसभ राज्यक बिरुद्ध स्वतन्त्रतापूर्वक अपन अधिकारसभक उपभोग क' सकैए।

सारभूत मानव अधिकारकेँ सूचीकृत करबाक समयमे संविधानमे प्रायः **प्रक्रियागत आ संस्थागत प्रावधानसभ** सेहो समावेश कएल गेल रहैत अछि। एहिसँ सारभूत अधिकारक प्रावधानसभक क्रियान्वयनमे सहयोग भेटैत अछि। इएह कारणसँ संविधानसभ **न्यायिक उपचार**क प्रणालीक सम्बन्धमे भविष्यदर्शी भ' मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनक लेल राज्यक जिम्मेवारी निश्चित करबाक संगहि **मानव अधिकारसम्बन्धी स्वतन्त्र संस्था**सभक स्थापना करैत अछि। अन्य प्रावधानसभ मानव अधिकारसँ सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसभ राष्ट्रिय कानुनमे समावेश करब, ओकरासभकेँ क्रियान्वयन आ व्यक्तिसभ पर ओकर प्रत्यक्ष प्रभाव आदिसँ सम्बन्धित भ' सकैत अछि।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सन्दर्भ

संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारणसभाद्वारा १० दिसम्बर १९४८ मे ग्रहण कएल गेल मानव अधिकारक विश्वव्यापी घोषणापत्र आ अन्य दू टा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसभ (नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि आ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि) कें एखन मानव अधिकारक "अन्तर्राष्ट्रिय संविधान"क रूपमे लेल जाईत अछि । ६० वर्षसँ बेसी समयावधिमे मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न सन्धिसभ, समझौतासभ तथा घोषणासभ कएलगेल अछि, । जाहिमे बाल अधिकार, महिला अधिकार, यातनाविरुद्धक अधिकार, रंगभेद तथा जातीय भेदभावविरुद्धक अधिकार, आदिवासी, जनजाति तथा अल्पसंख्यकक अधिकार, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, शरणार्थी तथा आन्तरिक रूपसँ बिस्थापित व्यक्तिसभक अथवा व्यक्तिसभक समूहक अधिकार इत्यादि पडैत अछि ।

ई सन्धिसभमे नेपाल बीसटासँ बेसी महत्वपूर्ण सन्धिसभमे हस्ताक्षर आ तकर अनुमोदन केने अछि । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनद्वारा निर्धारण कएल गेल दायित्वक परिपालन करबाक लेल पक्षराष्ट्र बाध्यकारी होईत अछि । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसभक पक्षराष्ट्र भेलाक बाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत मानव अधिकारक सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति करब सम्बन्धित राष्ट्रसभक दायित्व तथा कर्तव्य भ' जाइत अछि । एहन दायित्वसभक सम्मान करबाक तात्पर्य पक्षराष्ट्रसभ मानव अधिकारक उपभोगमे कटौती अथवा हस्तक्षेप करबाक काजसँ स्वयंकें रोकब अछि । संरक्षणसम्बन्धी दायित्वक अर्थ पक्षराष्ट्रसभ व्यक्ति तथा समूहसभक उपर मानव अधिकार उल्लंघन होबासँ रोकबाक लेल संरक्षण प्रदान करब होईत अछि । परिपूर्तिक दायित्वक अर्थ पक्षराष्ट्रसभद्वारा आधारभूत मानवक अधिकारक उपभोगकें सहज बनेबाक लेल सकारात्मक डेग आगाँ बढौनाइ होईत अछि ।

आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी महासन्धि (नं. १६९) १९८९ अनुमोदन कर'बला १९ राष्ट्रसभमे नेपाल सेहो अछि । ई महासन्धि भूमिउपरक अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनक उपर पहुँच, शिक्षा स्वास्थ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजागरीक अवस्थाक संगहि सीमापार सम्बन्ध सनक विस्तृत विषयसभकें समेटने अछि । ई महासन्धिक मौलिक सिद्धान्त आदिवासी तथा जनजातिसभसँ सम्बन्धित सभ तहक (स्तरक) निर्णय प्रक्रियामे ओकरसभक पूर्ण सहभागिताक संगहि ओकरासभसँ परामर्श क' विशेष रूपसँ अंगीकार केने अछि । आदिवासी तथा जनजातिसभक अधिकारसम्बन्धी कानुनी रूपसँ एकगोट मात्र बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रक लेल जिम्मेबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायक रूपमे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) क एहि सन्दर्भमे महत्वपूर्ण भूमिका रहैत अछि ।

नेपालमे सन्धि ऐन, २०४७ (सन् १९९१) क दफा ९ अनुसार अनुमोदित सभ सन्धि नेपालक कानुनक रुपमे स्वीकृत भ' जाइत अछि । एकर अतिरिक्त, सन्धिसभपर हस्ताक्षर भेला

---

२ OHCHR

उपरान्त नेपाल सरकारकेँ उक्त सन्धिसभअन्तर्गतक प्रावधानअनुसार कानुन निर्माण करब, वर्तमान कानुनमे रहल पृथक अथवा नहि मिल'बला प्रावधानसभ परिवर्तन करब, ओकरसभकेँ पालन करब, उल्लंघन भेलापर उपचारक व्यवस्था करब आ ओहिसभक पूर्ण पालनक लेल आवश्यक शिक्षा तथा प्रशिक्षणक लेल बजेट बिनियोजन (निर्धारण) करब इत्यादि काजसभ कर' पडि सकैत अछि। एहि सन्दर्भमे मानव अधिकारक आधारपर आगाँ बढबाक लेल नेपालमे यथेष्ठ कानुनी आधारसभ अछि।

नेपालमे मानव अधिकार

नेपालक संविधानमे मानव अधिकारकेँ मौलिक अधिकारक रूपमे व्यवस्था कएल गेल अछि। नेपाल बहुतरास अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी संयन्त्रसभमे सहमति जनौने अछि। संगहि, वर्तमान तथा बिगतक संविधानसभमे मानवअधिकारसम्बन्धी विस्तृत सूची सेहो निर्धारण कएल गेल अछि। मानव अधिकारसम्बन्धी प्रावधानसभक सम्बन्धमे नेपालक अन्तरिम संविधान, २०६३ (२००७) केँ एखनधरि नेपालमे लागू कएलगेल संविधानसभमेसँ सर्वाधिक प्रगतिशील संविधानक रूपमे लेल जाईत अछि।

नेपालक इतिहासमे देशमे विगतमे भेल बिभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमसभक संगहि मानव अधिकारसम्बन्धी अवधारणासभ सेहो आगाँ बढल पाओल जाईत अछि। सामान्यत: वि.सं. २००७ (सन् १९५१) सँ पहिने हिन्दू राज्यक मूल्य आ मान्यतासभ तथा राजसंस्था देशक बहुसंख्यक जनताक लेल विभेदपूर्ण छल। नेपाली समाजमे औपचारिक रूपसँ हिन्दू वर्णव्यवस्था छल। ओकर प्रभाव एखनोधरि महसूस कएल जा सकैत अछि। एखनोधरि नेपालक सामाजिक प्रणालीमे बहुतो आदिबासी, जनजाति, आ दलित जनताक मानव अधिकार तथा समानताक सन्दर्भमे ओहन स्थिति व्यवधानक रूपमे देखल जाईत अछि। संगहि, महिलासभक अवस्था सेहो सएह स्थितिसँ प्रभावित भेल देखल जाइत अछि, जाहि कारणसँ ओसभ (महिलासभ) सदैव सशक्त हेबासँ बंचित भ' सीमान्तीकृत तथा बहिष्करणमे पडल देखल जाइए। यद्यपि वि.सं १९१० क मुलुकी ऐन जातीयतापर आधारित दण्ड व्यवस्थामे किछु सुधार त' लौलक मुदा, ओहिसँ उक्त प्रचलनकेँ कानुनी बैधता भेटलैक आ जातीय तथा तहगत परम्परा आओर सबल भ'गेल। एहि प्रकारसँ नेपाली जनताकेँ समानताक अधिकारक संगहि मानव अधिकारक अभ्याससँ बहुत दिनधरि बहूत दूर राखि देलक।

मौलिक अधिकारक किछु सन्दर्भसभ समाविष्ट भेल पहिलुका कानुनी आ संवैधानिक प्रावधानसभक अनुसरण करैत नेपाल अधिराज्यक संविधान, २०१५ (सन् १९५९) मौलिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाकेँ बिस्तार केलक आ ई अधिकारसभक उल्लंघनक स्थितिमे सर्वोच्च अदालतमे रिट

देबाक संवैधानिक उपचारक अधिकार प्रदान केलक । वि.सं. २०१९ (सन् १९६२)क संविधान सेहो व्यक्तिगत अधिकारसम्बन्धी प्रावधानसभकेँ कायमे रखलक मुदा, ई तत्कालीन निर्दलीय राजनीतिक व्यवस्थाक बिरुद्ध कोनो काजमे रोक लगौने छल । पंचायती ब्यबस्थाक बिरुद्धक कोनो तरहक काज आ राजनीतिक स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगेबाक कारणसँ ओहि समयमे बुहतरास व्यक्तिगत अधिकारसभ निष्क्रिय रहल । मुलुकी ऐन, २०२० (सन् १९६३) संशोधनकेँ मानव अधिकारक दृष्टिसँ एकटा महत्वपूर्ण उपलब्धिक रूपमे लेल जाईत अछि । ई ऐन परम्परागत जातीय व्यवस्थाकेँ खारिज क' देलक आ छुवाछुत तथा जातीय तहगत परम्पराकेँ उन्मुलनक संगहि सभ अमानवीय सजायक व्यवस्थापर रोक लगाक' जातजातिक आधारपर होब'बला भेदभावकेँ अन्त करबाक प्रयत्न केलक ।

नेपाल अधिराज्यक संविधान, २०४७ (सन् १९९०) सार्वभौम अधिकार नेपाली जनतामे रहबाक व्यवस्था क' व्यक्तिगत अधिकारक क्षेत्रकेँ व्यापकता प्रदान केलक । संविधानमे व्यवस्थित मृत्यु दण्डक अन्त, सूचनाक हक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, मौलिक हक उल्लंघनबिरुद्धक संगहि सार्वजनिक सरोकारक मुद्दासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमे रीट देबाक व्यवस्था सनक प्रावधानसभकेँ बिशेष महत्वक रूपमे लेल जाईत अछि । संविधानक भाग ३ (मौलिक हक) मे उल्लेखित मानव अधिकारसम्बन्धी प्रावधानक सम्बन्धमे नेपालक अन्तरिम संविधान २०६३ (२००७)केँ एखनधरि नेपालमे जारी संविधानमेसँ सबसँ बेसी प्रगतिशील संविधानक रूपमे लेल जाईत अछि ।

एहि संविधानक धारा १२, १३, १६, २४, २५, २६, २९ आ ३१ नागरिक अधिकारसभ (जीवाक अधिकार, मर्यादा, समानता आ स्वतन्त्रता इत्यादि) बिभिन्न ब्यक्तिगत स्वतन्त्रतासभसँ सम्बन्धित अछि । तहिना धारा १२, १५, २७ आ २८ मे राजनीतिक अधिकारसभ (संगठित होबाक अधिकार, अभिव्यक्ति तथा विचार आदानप्रदान करबाक अधिकार, शासन व्यवस्थामे सहभागी होबाक अधिकार)क व्यवस्था कएल गेल अछि । धारा १२, १३, १८, १९, २९ आ ३० मे आर्थिक अधिकारसभ (उचित रोजारीक अबसरसम्बन्धी अधिकार, भूखसँ मुक्ति, जीविकोपार्जनक लेल काज करबाक अधिकार, अपन पेशा चुनबाक अधिकार, इत्यादि)क व्यवस्था कएल गेल अछि । धारा १२, १४, १६, १७ आ १८ मे सामाजिक अधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य आ सुरक्षाक अधिकार, औषधि उपचारक सुविधा, मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाक सुरक्षा, इत्यादि) उल्लेख अछि ।

धारा २३ मे सांस्कृतिक अधिकारसभ (दोसरक भावना आ आत्मसम्मापर ध्यान दैत धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत अभ्याससभमे सहभागी होबाक अधिकार) क व्यवस्था कएलगेल अछि ।

अन्तरिम संविधानक मानव अधिकारसम्बन्धी प्रावधानक संगहि अन्तरिम संविधानसँ नहि भेट'बला (प्रतिकूल प्रकारक) कानुन लागू अथवा क्रियान्वयन नहि होब'बला हिसाबसँ संविधानद्वारा "प्रभावहीन" घोषित भेल अछि । (अन्तरिम संविधानक धारा १६४ (२)) ।

अन्तरिम संविधान, संविधानक एहि भागमे प्रदान कएलगेल अधिकारसभक क्रियान्वयन करबाक सन्दर्भमे सर्वोच्च अदालतमे पुनरावेदनक लेल महत्वपूर्ण अधिकार प्रत्याभूत (गैरण्टी) केने अछि। (धारा ३२ आ १०७)

नेपालक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्वतन्त्र आ स्वायत्त संवैधानिक निकाय अछि। वि. सं. २०५७ (सन् २०००)मे मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ (१९९७) अन्तर्गत कानुनी निकायक रूपमे एकर स्थापना भेल छल। नेपालक अन्तरिम संविधान, २०६३ (२००७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकेँ संवैधानिक निकायक रूपमे स्थापित केलक (भाग १५)। देशक संवैधानिक कानुनी प्रणालीमे एकर अप्पन विशिष्ट प्रकारक जिम्मेबारीक क्षेत्रसभ अछि। ई जिम्मेबारीसभ न्याय सम्पादनसम्बन्धी सामान्य संयन्त्र, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताक कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा विद्यमान अन्य कार्यपालिकीय, अर्धन्यायिक अथवा न्यायिक नियकासभक जिम्मेवारीकेँ सम्पन्न करबाक लेल पूरकक रूपमे सहयोग करैत अछि।[३]

नेपालमे आधारभूत मानव अधिकारकेँ सुनिश्चित कर'बला बहुतरास मूल्य-मान्यता, निकाय तथा कार्यबिधि स्थापित कएल गेल अछि। मुदा, एकर व्यावहारिक कार्यान्वयन तथा नेपाली जनताद्वारा ई अधिकारसभक प्रभावकारी उपभोग करबाक बात स्थायी चुनौतीक रूपमे रहल अछि। वर्तमान सन्दर्भमे देखलगेल नव चुनौतीसभमे मानव अधिकारक क्षेत्र विस्तार करब आ सभप्रकारक मानव अधिकारक प्रत्याभूतिक लेल ओहन अधिकारसभकेँ संस्थागत करबाक आवश्यकता भ' सकैए।

मानव अधिकार अन्य कानुन तथा प्रशासनिक नियमावलीसभसँ सेहो प्रभावित भ' सकैत अछि। ओहिमेसँ किछु संविधानमे रहल विद्यमान मानव अधिकारसम्बन्धी प्रावधानसभसँ निरन्तर रूपमे प्रतिकूल (असंगत) होईत देखल जा रहल अछि।

संविधानसभाद्वारा विचार करब आवश्यक रहल किछु सम्भावित मुद्दा

नेपालमे मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनसभ प्रमुख रूपसँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डक अनुरूपे रहल अछि। संविधान आ अन्य कानुनी स्रोतसभमे प्रभावकारी संरक्षण तथा उपचारक प्रावधानसभ पाओल जाईत अछि। मानव अधिकारक कानुनी संवैधानिक संरक्षणमे आर बेसी सुधार नहि

३ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल

भ' सकैत अछि से बात नहि अछि । नेपालमे मानव अधिकारक अवस्थामे व्यवहारमे सुधार करबाक बहुतरास स्थानसभ देखल जाईत अछि। ताहिलेल मानव अधिकारक संरक्षण प्रभावकारी रूपसँ बृद्धि करबाक लेल संवैधानिक प्रावधानसभकेँ परिस्कृत क' ओकर विस्तार करबाक बात ब्यवहारमे मानव अधिकारक उत्तम मापदण्ड प्राप्त कर'बला एकटा अपर्याप्त उपायकेँ मात्र प्रतिनिधित्व क' सकैत अछि ई बात ध्यानमे राखब आवश्यक अछि ।

नेपालक विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी संरचनामे प्रक्रियागत पक्षक संगहि मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताक विस्तृत सूची समावेश कएल गेल अछि । सहभागितामूलक प्रक्रियाद्वारा नव संविधानक मसौदा तैयार करैत काल ई संवैधानिक तथा कानुनी संरचनाक प्रावधानसभक पुनरावलोकन करबाक अवसर प्राप्त हएत । सम्भवतः एकराद्वारा सिर्जना भेल रिक्तताक पूर्ति हएत आ मानव अधिकारक संरक्षणक लेल जिम्मेबार निकाय तथा संस्थासभकेँ प्रशस्त अधिकार सम्पन्न होबाक अवसर भेटतैक । नेपालके संघीय राज्यमे पुनः संरचना करबाक अपेक्षित रूपान्तरणसँ संघीय एकाईसभद्वारा बन'बला भावी कानुनसभक उपर संघीय मानव अधिकारक कानुनक सर्वोच्चतासँ जुडल बहुतरास प्रश्नसभ ठाढ हएत ।

१. संविधानसभा एखन अन्तरिम संविधानक भाग तीन (३) मे राखल गेल सामाजिक तथा आर्थिक मानव अधिकारकेँ न्यायिक रूपसँ क्रियान्वयन करेबाक लेल ओकरसभकेँ ओहने प्रकारक प्रभाव आ संरक्षण प्रदान करैत संविधानक "मौलिक हक" क भागमे रखबाक बातपर ध्यान देत से सुझाव देल गेल अछि । एखन अन्तरिम संविधानक भाग चारि (४) "राज्यक दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिसभ"सँ सम्बन्धित अछि । ई नेपाली जनताक बहुतरास मांगसभ (जाहिमे बहुतो सामाजिक आ आर्थिक प्रकृतिक अछि)सँ सरोकार रखैत अछि आ संविधानसभाद्वारा सेहो ई चुनौतीसभक सामना करबाक सम्भावना अछि ।.

२. मौलिक हकसभकेँ आओर बेसी सुदृढ करबाक लेल विचार करब, जेना नेपालक अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा सुनिश्चित कएल गेल छुवाछुतबिरुद्धक अधिकारअन्तर्गत मानव अधिकारसँ सम्बन्धित क्षतिपूर्ति देबाक बातसभक सम्बन्धमे कानुन निर्माण क' एकर क्रियान्वयन करबाक समयसीमा निश्चित कर'बला विषय ।

३. दलित, बिपन्न, गरीब, किसान तथा मजदूर आ महिलाजकाँ आर्थिक, सामाजिक अथवा शैक्षिक रूपसँ पछुआएल समुदायसभक अधिकार हनन् भेल आ राज्यक संरचनासभमे समानुपातिक समावेशीकरणक सिद्धान्तअनुरूप ओकरासभकेँ सहभागी होबासँ बंचित कएल गेल अवस्थामे ओकरोसभक अधिकारसभकेँ स्पष्ट आ सुनिश्चित क' न्यायिक उपचारक सम्बन्धमे विचार-बिमर्श करब ।

४. मानव अधिकारक प्रभावकारी उपभोगक लेल सम्भव होब'बला, शीघ्र आ प्रभावकारी न्याय प्रदान कर'बला पद्धतिमे जनताक सहज पहुँच दिएबासँ सम्बन्धित प्रावधानक सम्बन्धमे ध्यान देब। स्थानीय स्तरपर प्रभावकारी उपचार प्रदान करबालेल मौलिक हककेँ सुनिश्चित करब। उदाहरणक लेल जिला अदालतसभक अधिकारकेँ ब्यापक बनबैत पुनरावेदन अदालतसभजकाँ रिट निवेदनक सुनुवाई करबाक अधिकार (देखवाक सुनुवाक अधिकार) देब (जेना छुवाछुत तथा दुर्व्यवहारबिरुद्धक हक, सूचनाक हक, गोपनीयताक हक)।

५. मानव अधिकारक प्रयोजनक लेल प्रहरी प्रशासन आ अदालतसभक अतिरिक्त स्थानीय अर्धन्यायिक निकायसभ सम्बन्धी प्रावधानक सम्बन्धमे बिचार करब। उदाहरणक लेल वार्ड प्रहरी कार्यालय अथवा जननिर्वाचित निकायसभकेँ छुवाछुत आ दुर्ब्यवहार, घरेलू हिंसा, दहेज तथा कथित डाईन-जोगिनक आरोपक मुद्दासभक सम्बन्धमे प्रथम सुनुबाई क' सकबाक अधिकार। तत्काल उपचारक लेल ई एकटा प्रभावकारी प्रारम्भ भ' सकैए। मुदा, एहन मुद्दामे निष्पक्ष अदालती कारबाहीक प्रत्याभूति आवश्यक अछि। एहिमे उपयुक्त समयक भितर एकटा स्वतन्त्र आ निष्पक्ष आयोगमे सार्वजनिक सुनुबाईक अधिकार, निर्दोषिताक अनुमान (Presumption Of Innocence), आ फौजदारी (आपराधिक) मुद्दामे अभियोग लागलसभकेँ न्यूनतम अधिकारसभ (ओकरासभकेँ प्रतिरक्षाक लेल प्रशस्त समय आ सुविधासभ, कानुनी प्रतिनिधित्वधरि पहुँच, ओकरासभक बिरुद्ध साक्षीक परीक्षण अथवा ओकरासभकेँ परीक्षण क' पाब'बला अधिकार, निशुल्क दूभाषिक सहयोग पेबाक अधिकार) पडैत अछि।

६. बिगतक दश (१०) वर्षक द्वन्द्वकालसहित बिगतमे भेल मानव अधिकारक गम्भीर उल्लंघनक जिम्मेबारी सुनिश्चित कर'बला प्रावधानक सम्बन्धमे ध्यान देब। एहन विचार-बिमर्शसभमे क्षतिपूर्ति तथा पीडितसभक पुनर्स्थापनाक पक्षसभ समाबेश होबाक चाही। आन्तरिक रूपसँ बिस्थापित जनताक अधिकारसम्बन्धी प्रश्नसभक सम्बन्धमे सेहो एहि सन्दर्भमे सम्बोधन कएल जा सकैत अछि।

७. अन्तरिम संविधान प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणद्वारा मानव अधिकारक संरक्षण तथा प्रबर्द्धनक लेल स्वतन्त्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी प्रावधान राखि चुकल अछि। किछु देशसभमे पृथक रूपसँ स्वतन्त्र मानव अधिकार निकायसभ जेना असन्तुष्टि या असहमति सुन'बला निकायक स्थापना कएल गेल अछि, जकर जिम्मेबारी जनताक खास समूह (बालबालिका, अशक्त व्यक्तिसभ, आदिवासी अथवा जनजाति, अल्पसंख्यकसभ इत्यादि) क अवस्थाकेँ सम्बोधन करब होईत अछि। संविधानसभा एहि प्रकारक विकल्पसभक सम्बन्धमे खोजी क' सकैत अछि।

पुस्तिका शृंखला सम्बन्धमे

संविधानसभाक सदस्यसभकेँ आ इच्छुक सर्वसाधारणकेँ संविधान निर्माण प्रक्रियाक सम्बन्धमे आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराएब एहि पुस्तिका शृंखलाक उद्देश्य अछि । ई प्रकाशनसभ संवैधानिक परिणाम सम्बन्धमे कोनो तरहक पूर्वानुमान कर'बला अवधारणापत्र अथवा प्रस्ताव अथवा मनसाय नहि अछि । ई शृंखला संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमक (यूएनडीपी) "नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माणक लेल सहयोग" (एसपीसीबीएन) परियोजनाक समन्वयमे नेपाली आ अन्तर्राष्ट्रिय संविधानविद्सभक सामूहिक प्रयासक प्रतिफल अछि ।

ई पुस्तिकासभकेँ आओर परिस्कृत बनेबा हेतु प्रतिक्रिया आ टिप्पणीक लेल विशेष अनुरोध अछि । बेसीसँबेसी सुसूचित, प्रतिबद्ध आ रचनात्मक विचारविमर्शकेँ प्रोत्साहित करबामे ई प्रकाशनसभ सफल भेलेपर अपेक्षित उद्देश्यक प्राप्ति भ'सकैए । प्राप्त टिप्पणीसभक आधारपर ई पुस्तिकासभक नव संस्करणक संगहि अतिरिक्त संस्करणसभ तैयार कएल जा सकैत अछि ।

ई शृंखलाकेँ नेपालक किछु प्रमुख भाषामे अनुबाद करबाक क्रममे उँच गुणस्तरक संगहि एहिकेँ सम्बन्धित भाषाक बेसीसँबेसी लोक बुझि सकए ताहिलेल ठीक शब्दावलीक प्रयोगक हरसम्भब प्रयास कएल गेल अछि । शब्दावलीक उपयुक्त आ ठीक प्रयोगक सम्बन्धमे बिभिन्न भाषिक समुदायसभक बीच भविष्यमे विचारविमर्श आ बहस होबाक अपेक्षा कएल जा सकैत अछि । संवैधानिक संवाद केन्द्रक उद्देश्य ओहन बहससभकेँ कोनो प्रकारेँ ओझलमे (छाहरिमे) नहि राखि ओहि भाषासभकेँ सेहो समावेश क' एहि प्रयासमे समाबेशिता आ पहुँचकेँ अधिकतम अभिवृद्धि करब अछि ।

देशमे संविधान निर्माणसँ सम्बन्धित जुडल विषयबस्तुक सम्बन्धमे संवैधानिक संवाद केन्द्रद्वारा तैयार भ'रहल शृंखलाबद्ध पाठ्यसामाग्रीसभक एकटा अंश (भाग) ई पुस्तिका अछि।

सभासदसभक संगाहि ई विषयबस्तुमे अभिरुचि रखनिहार सर्वसाधारणसमकें प्रमुख संवैधानिक अवधारणा आ मुद्दासभमे (समस्यासभमे) संलग्न कराएब एहि शृंखलाबद्ध प्रकाशनक उद्देश्य अछि। शृंखलाअन्तर्गतक प्रत्येक पुस्तिका नेपालमे प्रयुक्त (बाजल जाएबला) प्रमुख भाषासभ (नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारु, मगर, तामांग, नेवार आ अंग्रेजी) मे उपलब्ध अछि। ई पाठ्यसामाग्रीसभक श्रव्य (सुनएबला) संस्करणक (कैसेट, सिडी) उपलब्धिक संगाहि एहिसभकें अनलाइनमे सेहो राखल गेल अछि।

पहिल चरणमे ई प्रकाशन शृंखलामे समेटल गेल विषयबस्तुसभ एहि प्रकारेँ अछिः राज्य आ धर्म, संघीय प्रणाली, संविधानमे मानव अधिकार, आदिवासी जनजातिक अधिकार, अल्पसंख्यकक अधिकार, सरकारक प्रणालीसभ, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण आर सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया।

संवैधानिक संवाद केन्द्र
तेसर महल, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डू
टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८
ई-मेल : info@ccd.org.np
वेबसाइट : www.ccd.org.np